

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक .....

पत्र संख्या-

लखनऊ: दिनांक

2015

180

श्री/श्रीमती/कु०/.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी/.....

पता-.....

नियुक्ति-पत्र

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20558/2009-उ०प्र० राज्य सरकार एवं अन्य बनाम संतोष कुमार मिश्रा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 एवं अयमाननावाद सं०-347/2010-हरित कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.12, 15.04.2013, 29.04.2013 तथा अयमाननावाद सं०-115/2014 में पारित आदेश दि० 23.09.2014 के अनुपालन में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4डी(2)/फार्म-2000/2014/..... दिनांक ..... द्वारा प्रेषित चयन सूची में चयन के आधार पर फार्मसिस्ट के पद पर वेतनमान रू०-5200-20200 ग्रेड पे-2800/- में आपकी नियुक्ति अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के आधार पर की जाती है। आपको उक्त वेतनमान/पे ग्रेड के साथ समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा देय महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे। आपको नव-नियुक्ति पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ...../जिला/महिला/संयुक्त चिकित्सालय..... पर तैनात किया जाता है।

आपकी उपरोक्त नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में इस प्रकरण में योजित याचिकाओं में मा० न्यायालय के अन्तिम आदेशों के अधीन होगी तथा मा० न्यायालय के आदेशानुसार यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। कार्यभार ग्रहण करते समय आपको निम्नलिखित अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति जो प्रतियों में जमा करना होगा।

1. सगरता शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यता संबंधी अंक प्रमाण-पत्र ।
2. हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र ।
3. डिप्लोमा इन फार्मसी का प्रमाण-पत्र ।
4. फार्मसी काउन्सिल, उत्तर प्रदेश का पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।
5. जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति/पिछड़ी जाति) ।
6. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र ।
7. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो आपके संबंधी तथा रिश्तेदार न हो । (मूल रूप में)
8. स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त।(मूल रूप में)
9. एक जीवित पत्नी होने का घोषणा-पत्र ।(मूल रूप में)
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों / नियमों का बिना शर्त पालन करने तथा संविधान एवं ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठा होने का शपथ-पत्र । (मूल रूप में)
11. इस आशय का शपथ-पत्र कि आपके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक वाद न्यायालय में लम्बित नहीं है तथा न्यायालय द्वारा आपको दण्डित न किया गया हो।(मूल रूप में)
12. तैनाती के समय चल / अबल सम्पत्ति संबंधित शपथ-पत्र (मूल रूप में)
13. आरक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थी के पिता का जाति प्रमाण-पत्र
14. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जो कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकती है।
15. आपकी नियुक्ति नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष तक पर्यवेक्षा-अवधि की होगी ।
16. फार्मसिस्ट का पद प्रदेश स्तरीय संवर्ग है । आपकी सेवायें, प्रदेश के किसी भी जनपद में स्थानान्तरणीय होगी । इस नियुक्ति पर आपको कोई यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा ।
17. नियुक्ति आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर आपको नई तैनाती के स्थान पर योगदान आख्या देना अनिवार्य होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

(नाम से),

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य  
चिकित्सा अधीक्षक .....

पत्र संख्या-

तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-..... दिनांक-.....के संदर्भ में ।
2. गण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण .....
3. आहरण- वितरण..... ।
4. कोषाधिकारी .....
5. अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र.....

(नाम से),

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/  
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक.....